



सत्यवादी का मान जोर सत्य ही सत्य है
 भगवद्गीता भू-स्वामी का मान जोर सत्य ही सत्य है, यदि ही

पृष्ठ - ५५५२ पृष्ठ

गोपनीय नं० ५२५ २
पाना नं० ५९

[illegible]

Record of rights ~~in the~~ ^{transferred}
and published under section
of the Bengal Land Revenue Act VIII of
as amended by Act XLV of
on 17 April 1911. Sd. P.W. Murphy

$$\begin{array}{r} 2252 \\ 3.8 \end{array}$$
[illegible]

०१/११/२३ - २३/११/२३
 ०२/११/२३ - २३/११/२३
 ०३/११/२३ - २३/११/२३

41618/83



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन

Running Unique No.: 0579464058
(Receipt No.)

जिला:- Patna	अंचल:- Danapur
हल्का:- खगौल नगर परिषद	मौजा :- सैदपुरा
जमाबंदी सं०:- 2452	मौजा/थाना सं०:- 51
भाग वर्तमान:- 18	
पृष्ठ संख्या:- 82993	
जमाबंदी रयत का नाम:- RAJESH KUMAR SAHAY	पता:- CHOTI KHAGAU ,
अभिभावक का नाम:- ब्रजेश KUMAR सहाय	

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
137,177	43,46,234	0 एकड़ 32.25 डिसमिल 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	25	50	25	0.00	80	2017-2018 से 2019-2020
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	6.2512.512.55	12.5252510	6.2512.512.55	0.00	18.9737.9337.9315.17	2017-2018 से 2019-2020
कुल	256.2512.512.55	5012.5252510	6.2512.512.5525	0.00	190	2017-2018 से 2019-2020

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	50	25	80	2017-2018 से 2019-2020	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	12.5252510	6.2512.512.55	18.9737.9337.9315.17	2017-2018 से 2019-2020	
कुल	5012.5252510	6.2512.512.5525	190	2017-2018 से 2019-2020	

कुल बकाया-190.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- One Hundred Ninety Rupees

तिथि- 20-10-2019



यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।